राधेश्याम औझा बनाम राज.सरकार, अपील संख्या 2018/00067/223, आदेश दिनांक 01.05.2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपील नोट प्रेस करने बाबत् पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों । अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 को दिनांक 28.03.2018 को अपास्त कर पुनः रिकॉल कर दिया हैं इसलिए अपीलांट अपील को आगे नही चलाना चाहते हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील नोट प्रेस किये से खारिज फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील को नोट किये जाने से अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।